

भाग-2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा गरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवधि - एक से गठान के निष्पत्ति के बाद से शुरू होकर 5 वर्षों तक

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड

(ii) जिला - पौड़ी गढ़वाल

(iii) जिला वन प्रभाग - सिविल सोयम पौड़ी

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 1.190 हे०

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति - मिथिल भूमे

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनपरति का ब्यौरा - रिजर्व भूमि (प्रति वन)

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित युद्धों की परिगणना - सालुन

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - सालुन

19. भूकरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण - भूकरण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगनग दूरी - 200 M.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता -

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगनग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा -

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्ट्रावास्त गलियार

आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वर्डन की

और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए

उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के

ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वर्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अल्ट्रावास्त आदि

पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि

ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वर्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसमें के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो

उसके ब्यौरे - नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक

अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के

साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणिया

दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और

परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - न्यूनतम यथाप्रस्तावित

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) ✓

(ii) यदि हां, की गई कार्य अपशिष्ट, अतिक्रमण में अंतर्लित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (गो) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (गो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ✓

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) ✓

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति। - सलन

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटिबल या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - सलन

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - सलन

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपखर्च : ₹ 37,60,00 (छाह लाख बीस हजार सात सौ मात्र)

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों जनाईत संस्थान की जाती है

थान:

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

पौड़ी गढ़वाल

अभिशादी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग

पौड़ी गढ़वाल

शासकीय

पर्यावरण वनीकार

सिविल एवं संपन्न वन प्रशासक

पौड़ी